



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276261
CG-DL-E-16092026-276261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4892]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4892]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

का.आ. 5083(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1 के साथ पठित उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 09.03.1992 की अधिसूचना सं. का. आ. 195 (अ) में, सुश्री पल्लवी जैन गोविल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, को सुश्री दीप्ति गौड़ मुकर्जी, पूर्व सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, के स्थान पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करते हुए, और संशोधन करती है।

[फा. सं. 2/6/2020-आरई]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना का.आ. 195 (ई) दिनांक 9.3.1992 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना का.आ. 761 (ई) दिनांक 7.10.1993, का.आ. 719 (ई) दिनांक 17.10.1996, का.आ. 765 (ई) दिनांक 3.9.1998, का.आ. 277 (ई) दिनांक 28.3.2000, का.आ. 88 (ई) दिनांक 31.1.2001, का.आ. 813 (ई) दिनांक 22.8.2001. का.आ. 827 (ई)

दिनांक 27.7.2003, का.आ. 1207 (ई) दिनांक 27.10.2004, का.आ. 731 (ई) दिनांक 18.05.2006, का.आ. 2619(ई) दिनांक 14.10.2009, का.आ. 476 (ई) दिनांक 04.03.2011, का.आ. 2030 (ई) दिनांक 23.09.2011, का.आ. 795(ई) दिनांक 18.03.2015, का.आ. 2727 (ई) दिनांक 05.10.2015, का.आ. 3720 (ई) दिनांक 23.11.2017, का.आ. 1512(ई) दिनांक 01.04.2019, का.आ. 1026 (ई) दिनांक 08.03.2022, का.आ. 5770 (ई) दिनांक 09.12.2022 और का.आ. 3763 (ई) दिनांक 03.09.2024, के माध्यम से संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

S.O. 5083(E).— In exercise of powers conferred by sub-section 4 read with sub-section 1 of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 195(E) dated 09.03.1992 by nominating Ms. Pallavi Jain Govil, Secretary, Ministry of Corporate Affairs as Member, Securities and Exchange Board of India, vice Ms. Deepti Gaur Mukerjee, ex-Secretary, Ministry of Corporate Affairs.

[F. No. 2/6/2020-RE]

Dr. ALOK TIWARI, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal Notification was published vide S.O. 195(E) dated 9.3.1992 and amended vide notifications S.O. 761(E) dated 7.10.1993, S.O. 719(E) dated 17.10.1996, S.O. 765(E) dated 3.9.1998, S.O. 277(E) dated 28.3.2000, S.O. 88(E) dated 31.1.2001, S.O. 813(E) dated 22.8.2001, S.O. 827(E) dated 27.7.2003, S.O. 1207(E) dated 27.10.2004, S.O. 731(E) dated 18.05.2006, S.O. 2619(E) dated 14.10.2009, S.O. 476(E) dated 04.03.2011, S.O. 2030 (E) dated 23.09.2011, S.O. 795(E) dated 18.03.2015, S.O. 2727(E) dated 05.10.2015, S.O. 3720(E) dated 23.11.2017, S.O. 1512(E) dated 01.04.2019, S.O. 1026 (E) dated 08.03.2022, S.O. 5770 (E) dated 09.12.2022 and S.O. 3763 (E) dated 03.09.2024.